

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-01/अ0प्र0-01-36/2023

492

पटना, दिनांक:- 3-9-25

श्री पवन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8043 दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-3 (B) (i) के प्रावधानानुसार विभाग में प्रभार ग्रहण करने के फलस्वरूप दिनांक-22.07.2025 से प्रतिमाह रुपया 3000+ DA की दर से शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति दी जाती है।

- यह भत्ता अवकाश/प्रशिक्षण/भ्रमण आदि के कारण 30 (तीस) दिनों से अधिक समय तक कर्तव्य से अनुपस्थिति रहने की स्थिति में देय नहीं होगा।
- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

ज्ञापांक-01/अ0प्र0-01-36/2023

9508

सरकार के संयुक्त सचिव
पटना, दिनांक:- 3-9-25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:-01/अ0प्र0-01-36/2023

9508

सरकार के संयुक्त सचिव
/पटना, दिनांक:- 3-9-25

प्रतिलिपि:-उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-01/अ0प्र0-01-36/2023

9508

सरकार के संयुक्त सचिव
पटना, दिनांक:- 3-9-25

प्रतिलिपि:-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/श्री पवन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-01/अ0प्र0-01-36/2023

9508

सरकार के संयुक्त सचिव
पटना, दिनांक:- 3-9-25

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव